

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या **10444/2012**

पी. सी. एम. सीमेंट कंप्रीट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक निजी लिमिटेड कंपनी है जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय पी. सी. एम. टावर, सेकंड माइल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी-734001, पश्चिम बंगाल में अपने संवैधानिक अटॉर्नी श्री अशोक अग्रवाल के बेटे स्वर्गीय राधेश्याम अग्रवाल, निवासी 39 ई/1, गोबिंदा अड्डी रोड, कोलकाता-700027 के माध्यम से है।

..... याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, वैशाली के माध्यम से भारत संघ।
2. उप मुख्य अभियंता (निर्माण-I), पूर्व मध्य रेलवे, दरभंगा।
3. एफ. ए. और सी. ए. ओ., पूर्व मध्य रेलवे, महेंद्रधाट, पटना।
4. बिहार राज्य, वाणिज्यिक कर आयुक्त, बिहार, पटना के माध्यम से।
5. सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त, पटना उत्तर सर्कल, पटना।
6. उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व मध्य रेलवे, सहारसा।

..... उत्तरदाता/उत्तरदातागण

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता

श्री किशोर सिंह, अधिवक्ता,

प्रतिवादी के लिए: श्री अंशय बहादुर माथुर, सी. जी. सी.

श्री विकास कुमार, एस. सी-11

गणपूर्ति:- माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

कैव न्यायनिर्णय

(द्वारा: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक: 28 - 07 -2023

रिट याचिका दायर की गई है जिसमें प्रतिवादियों 2,3 और 6 को रूपये 38, 22, 897 की राशि वापस करने का निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिकाकर्ता का तर्क है कि उक्त राशि बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (संक्षिप्त "वैट अधिनियम" के लिए) की धारा 40 और 41 के प्रावधानों के तहत कथित रूप से अग्रिम मूल्य वर्धित कर के रूप में याचिकाकर्ता के बिलों से अवैध रूप से कटौती और वसूली की गई थी।

2. याचिकाकर्ता का तर्क है कि वैट अधिनियम बिल्कुल भी लागू नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा रेलवे को माल का निर्माण और आपूर्ति एक अंतर-राज्यीय बिक्री थी; जो बिहार राज्य के भीतर माल की बिक्री या कार्य अनुबंध के रूप में बिक्री कर के लिए अपेक्षित नहीं है।

3. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री सत्यबीर भारती और प्रत्यर्थियों 1,2,3 और 6 के विद्वान वकील श्री अंशय बहादुर माथुर और राज्य के विद्वान वकील श्री विकास कुमार को सुना है।

4. याचिकाकर्ता ने पूर्व मध्य रेलवे के साथ दो अलग-अलग समझौते किए, जिनमें से पहला अनुलग्नक-2 के रूप में और दूसरा अनुलग्नक-5 के रूप में क्रमशः दिनांक 26.12.2008 और 19.05.2010 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा निविदा में सफलतापूर्वक बोली लगाने और बातचीत के बाद अनुलग्नक-2 समझौता किया गया था। विशिष्ट अनुबंध "आर. डी. एस. ओ. के ड्राइंग नंबर बी.ए.-10221 (नवीन परिवर्तन यदि कोई हो तो के साथ) के अनुरूप आर. सी. सी. गिट्टी अनुचरों सहित एम. बी. सी.

लोडिंग के लिए 6.1 मीटर स्पष्ट अवधि पूर्व-दबाव वाले कंक्रीट पुल स्लैब के निर्माण और परिवहन के लिए था जिसमें मुख्य अभियंता/कॉन/एन. ई. के अधीन निकटतम रेलवे स्टेशन/साइडिंग/रोड पर रेलवे वैगन/रोड वाहन में स्टैकिंग और लोडिंग शामिल है। ई. सी. रेलवे एम. एच. एक्स. अनुलग्नक-5 एक समान अनुबंध है जिसमें पूर्व-दबाव वाले कंक्रीट पुल स्लैब के विनिर्देश को 6,10 मीटर और 5,48 मीटर स्पष्ट अवधि के रूप में दर्शाया गया है जिसमें आर. सी. सी. गिट्टी अनुचरों सहित 25 एम. टी. एमबीजी लोडिंग के साथ है। इसमें अनुबंध में निकटतम रेलवे स्टेशन/साइडिंग आदि पर रेलवे वैगन/लोड वाहन में स्टैकिंग और लोडिंग शामिल है। अनुबंध के अनुसार, माल का निर्माण और परिवहन चालान के बल पर किया जाता था, जिनमें से दो को रिट याचिका के साथ अनुलग्नक-6 श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अनुलग्नक-7 विभिन्न बिलों और उनके तहत की गई कटौती का विवरण है जिस पर धनवापसी का दावा किया जाता है।

5. विद्वान वकील श्री सत्यबीर भारती ने पंडित इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड बनामभारत संघ; **2011 (2)** पी. एल. जे. आर. **444**, उड़ीसा राज्य और अन्य बनामके. बी. साहा एंड संस इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड और अन्य। **9** एस. सी. सी. **97**, आयुक्त, दिल्ली मूल्य वर्धित कर बनाम ए. बी. बी. लिमिटेड; **(2016) 6** एस. सी. सी. **791** और कोन एलिवेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य; **(2014) 7** एस. सी. सी. **1** के तर्क करने पर भरोसा किया कि लेन-देन वस्तुओं की शुद्ध और सरल बिक्री थी और वह भी एक अंतर-राज्यीय बिक्री जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा केंद्रीय बिक्री कर (संक्षिप्त "सी. एस. टी". के लिए) का भुगतान किया गया है जिसे उत्तरदाताओं के खिलाफ उठाए गए चालान में जोड़ा गया है।

6. रेलवे की ओर से उपस्थित विद्वान वकील विशेष रूप से प्रत्यर्थी रेलवे की ओर से दायर 26.11.2014 दिनांकित जवाबी हलफनामे का उल्लेख करता है। यह बताया गया है कि अनुबंध दस्तावेज के खंड 34 में विशेष रूप से बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर निष्पादित किसी भी कार्य के लिए बिक्री कर के स्रोत पर वसूली की बात की गई है, जिसकी दर भी सकल कार्य मूल्य के 4 प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट की गई है। यह रेलवे का विशेष तर्क है कि काम बिहार के क्षेत्र के भीतर निष्पादित होने के कारण, कटौती केवल उचित थी।

7. हमें पहले अनुलग्नक-2 और अनुलग्नक-5 के रूप में प्रस्तुत समझौतों पर ध्यान देना होगा, जो रेलवे द्वारा विवादित नहीं हैं। इनका सार, विशेष रूप से इसके जवाबी हलफनामे में लिखने तक सीमित है, जो केवल कुछ वस्तुओं के निर्माण और आपूर्ति की बात करता है। निश्चित रूप से ये बाजार में उपलब्ध वस्तुएं नहीं हैं, लेकिन याचिकाकर्ता को पश्चिम बंगाल में स्थित अपनी विनिर्माण इकाई में रेलवे के विनिर्देशों के अनुसार इसका निर्माण करना होता है और याचिकाकर्ता का दायित्व है कि वह इसके तहत निकटतम रेलवे स्टेशन/साइडिंग/सड़क पर रेलवे वैगन या वाहन में लोड और ढेर करे जो मुख्य अभियंता/कॉन/एन. ई. के अंदर हो। याचिकाकर्ता रेलवे के प्रस्तावित निर्माण पर माल नहीं डालता/नहीं रखता है। यह समझौता वस्तुओं के शुद्ध और सरल निर्माण और बिक्री का है; जो एक कार्य अनुबंध का गठन नहीं करता है। हम यह इस तथ्य के प्रति काफी सचेत कहते हैं कि भले ही कोई कार्य अनुबंध हो, जैसा कि दिल्ली मूल्य वर्धित कर आयुक्त (उपर्युक्त) में कहा गया है उस राज्य के भीतर बिक्री के अनुसार अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर कर लगाने का कोई सवाल ही नहीं है जिसमें कार्य अनुबंध किया जाता है, यदि माल की आपूर्ति पूर्व अनुबंध के आधार पर किसी अन्य राज्य से होती है और इसमें कार्य में वृद्धि होती है। कोन एलिवेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किसी भी तरह की छूट नहीं दी इस बात पर विवाद के लिए कि कार्य अनुबंध क्या है। माल और श्रम की आपूर्ति के लिए एक समग्र अनुबंध होना चाहिए, जो वर्तमान मामले में अनुपस्थित है।

8. वर्तमान मामले में, इस मुद्दे को सरल बनाया गया है क्योंकि बिक्री केवल माल का निर्माण और आपूर्ति है जो माल की बिक्री का एक सरलीकरण है; किन वस्तुओं का परिवहन भी बिक्री के पूर्व अनुबंध के अनुसरण में किया गया है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही का कारण है; यहाँ पश्चिम बंगाल राज्य से बिहार राज्य में राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ए. पी. बनाम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम-**203** ने लिमिटेड; (**2002**) 5 एस. सी. सी. इस तय प्रस्ताव को दोहराया कि अंतर-राज्यीय व्यापार के दौरान बिक्री में तीन आवश्यक तत्व होते हैं। एक, माल की अंतर-राज्यीय आवाजाही के संबंध में, स्पष्ट या निहित शर्त को शामिल करते हुए बिक्री का अनुबंध होना चाहिए। दूसरा, बिक्री के ऐसे अनुबंध के अनुसार माल को वास्तव में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहिए, बिक्री आवाजाही का निकटतम कारण है और अंत में, ऐसी आवाजाही एक

राज्य से दूसरे राज्य में होनी चाहिए जहां बिक्री समाप्त होती है। यह भी माना जाता है कि बिक्री के अनुबंध के बाद स्वतंत्र रूप से होने वाली वस्तुओं की आवाजाही अंतर-राज्यीय बिक्री के अर्थ में नहीं आएगी। इसी तरह, यदि बिक्री का लेन-देन राज्य के भीतर पूरा हो जाता है और उसके बाद माल की आवाजाही होती है, तो यह स्पष्ट रूप से बिक्री के अनुबंध से स्वतंत्रता होगा और आवश्यक रूप से केवल खरीदार द्वारा या उसकी ओर से होगा और इसलिए, लेनदेन में अंतर-राज्य बिक्री तत्व नहीं होगा।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय की एक खंड पीठ ने भी हैदराबाद अभियांत्रिकी उद्योग बनाम एपी राज्य; (**2011**) 4 एससीसी 705 में इसी स्थिति की जांच की। इसमें अपीलार्थी, आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर एक पंजीकृत विक्रेता, विद्युत और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण और बिक्री में लगा हुआ था और उन्होंने अपने उत्पादों के विपणन और बिक्री के लिए कंपनी दूसरे कंपनी के साथ एक समझौता किया। अपीलार्थी, दूसरी कंपनी, एजेंट द्वारा जारी बिक्री के आदेशों के अनुसार, उत्पादों को अपने विभिन्न डिपो में ले गया, जहाँ से एजेंट ने सामान एकत्र किया और अंतिम खरीदार को वितरित किया। निर्धारिती-अपीलार्थी ने इसे शाखा हस्तांतरण के रूप में दावा किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन किया, जिसने इसे सी. एस. टी. अधिनियम के तहत कर के लिए एक अंतर-राज्यीय बिक्री पाया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर कई निर्णयों का उल्लेख करने के बाद पैराग्राफ 39 में इस सिद्धांत को इस प्रकार कहा है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

39. “उपरोक्त निर्णयों से जो सिद्धांत उभरता है वह यह है कि जब बिक्री या बिक्री के लिए समझौता एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही का कारण बनता है या इसका प्रभाव पड़ता है, चाहे बिक्री के अनुबंध में माल की आवाजाही का प्रावधान किया गया हो या नहीं, या जब किसी शाखा कार्यालय या मुख्य कार्यालय में आदेश दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप माल की आवाजाही होती है, चाहे माल में संपत्ति एक राज्य या दूसरे राज्य में पारित हो, अगर ऐसी बिक्री का प्रभाव एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही पर पड़ता है, तो एक अंतर-राज्यीय बिक्री होगी और इसके परिणामस्वरूप केंद्रीय अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत ऐसे लेनदेन के कारोबार पर कर की अनिवार्यता होगी। यह केवल तभी होगा जब

अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री या खरीद से संबंधित कारोबार केंद्रीय अधिनियम के तहत कर योग्य होगा।

10. वर्तमान मामले में भी एक अनुबंध के लिए सटीक और विशेष विनिर्देशन के पूर्व-दबाव वाले कंक्रीट स्लैब और आर. सी. सी. बैलास्ट रिटेनर्स का निर्माण और परिवहन है। इसमें कोई कार्य अनुबंध शामिल नहीं है और यह केवल याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित वस्तुओं की शुद्ध और सरल बिक्री है, जिसे अनुबंध दिया गया है; जो केवल निर्माण और बिक्री के लिए है। निर्मित वस्तुओं को एक वाहन या रेलवे वैगन में लादा और रखा जाता है, जिसके द्वारा इसे रेलवे के कार्यों में वृद्धि के लिए बिहार राज्य के भीतर साइट पर ले जाया जाता है; जो काम या वृद्धि याचिकाकर्ता की जिम्मेदारी नहीं है। लेन-देन विशुद्ध रूप से वस्तुओं की अंतर-राज्यीय बिक्री का है और न तो एक कार्य अनुबंध है और न ही बिहार राज्य के भीतर कर के लिए अपेक्षित वस्तुओं की बिक्री है जो अनुलग्नक-2 और अनुलग्नक-5 समझौतों के अनुसार वस्तुओं की बिक्री एक अंतर-राज्यीय बिक्री है जो बिहार राज्य के भीतर कर के लिए उपयुक्त नहीं है।

11. रेलवे ने इस आधार पर कटौती की थी कि यह एक कार्य अनुबंध है जिसे हमने अस्वीकार कर दिया है। रेलवे याचिकाकर्ता ठेकेदार को बिलों से की गई अवैध कर कटौती वापस करने के लिए बाध्य है। रेलवे निश्चित रूप से बिहार मूल्य वर्धित कर विभाग से रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है।

12. इस संदर्भ में, हमें पंडित इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड पर ध्यान देना होगा कि रेलवे ने इसी तरह के लेन-देन को अंतर-राज्यीय लेन-देन में अवैध रूप से कटौती माना गया था।

13. रेलवे के विद्वान स्थायी वकील ने बताया कि समझौते में एक मध्यस्थता खंड है और इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अनुच्छेद 226 के तहत लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से एक संविदात्मक मामले में।

14. हमें नहीं लगता कि जो विवाद उठाया गया था वह मध्यस्थता योग्य था, विशेष रूप से क्योंकि इसमें इस बात पर विचार करना शामिल था कि क्या लेन-देन बिहार राज्य के भीतर वस्तुओं की अंतर-राज्यीय बिक्री, कार्य अनुबंध या बिक्री थी।

15. उपरोक्त परिस्थितियों में हम धनवापसी का निर्देश देते हैं, लेकिन, उपरोक्त रिट याचिका के पंजीकरण की तारीख से तीन साल पहले की गई कटौती तक सीमित है जो 14.05.2012 पर है; सीमा अधिनियम के तहत धन की वसूली के लिए निर्धारित सीमा को प्रभावी बनाता है। रेलवे इस फैसले की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से 4 महीने की अवधि के भीतर 6 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि वापस करेगा। यदि उस समय के भीतर धनवापसी नहीं दी जाती है तो ब्याज 4 महीने की अवधि की समाप्ति की तारीख से 12 प्रतिशत की दर से चलेगा। रेलवे बिहार राज्य से धनवापसी या भविष्य के बकाया के समायोजन के लिए आवेदन कर सकता है।

16. रिट याचिका की उपरोक्त अनुमति के साथ दी गई है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(पार्थ सारथी, न्यायाधीश)

ए.एफ.आर	
सीएवी तिथि	
अपलोड करने की तिथि	28.07.2023
संचरण तिथि	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No. 10444 of 2012

PCM Cement Concrete Pvt. Ltd. a private limited Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 having its Corporate Office At PCM Tower, 2nd Mile, Sevoke Road, Silliguri-734001, West Bengal through its Constituted Attorney Shri Ashok Agrawal Son of Late Radheyshyam Agrawal, resident of 39E/1, Gobinda Addy Road, Kolkata - 700027

... ... Petitioner/s

Versus

1. The Union of India through the General Manager, East Central Railway, Hajipur, Vaishali.
2. The Deputy Chief Engineer (Construction-I), East Central Railway, Darbhanga.
3. The F.A. and C.A.O., East Central Railway, Mehdruhat, Patna.
4. The State of Bihar, through the Commissioner of Commercial Taxes, Bihar, Patna.
5. The Assistant Commissioner of Commercial Taxes, Patna North Circle, Patna.
6. The Deputy Chief Engineer (Construction), East Central Railway, Saharsa.

... ... Respondent/s

Appearance :

For the Petitioner/s	:	Mr. Satyabir Bharti, Advocate Mr. Kishor Singh, Advocate
For the Respondent/s	:	Mr. Anshay Bahadur Mathur, CGC Mr. Vikash Kumar, SC-11

CORAM: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE
and
HONOURABLE MR. JUSTICE PARTHA SARTHY
CAV JUDGMENT

(Per: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE)

Date : 28 - 07 -2023

The writ petition is filed seeking a direction to the Respondents 2, 3, and 6 for refund of an amount of Rs. 38,22,897. It is the petitioner's contention that the said amounts



were illegally deducted and recovered from the bills of the petitioner as advance Value Added Tax purportedly under the provisions of Section 40 and 41 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (for brevity "VAT Act").

2. The petitioner argues that the VAT Act has absolutely no applicability since the manufacture and supply of the goods by the petitioner to the Railways was an inter-state sale; which is not exigible to sales tax within the State of Bihar either as a sale of goods or as a works contract.

3. We have heard Shri Satyabir Bharti, learned counsel for the petitioner and Shri Anshay Bahadur Mathur, learned counsel for the Respondents 1, 2, 3 and 6 and Shri Vikash Kumar, learned counsel for the State.

4. The petitioner entered into two separate agreements with the East Central Railway, the first of which is produced as Annexure-2 and the later one as Annexure-5 respectively dated 26.12.2008 and 19.05.2010. Annexure-2 agreement was entered into after the petitioner bid successfully in a tender and pursuant to negotiations. The specific contract was for "Manufacturing and transportation of 6.1 m clear span pre-stressed concrete bridge slabs for MBC loading including RCC ballast retainers conforming to RDSO's Drawing No. BA-



10221 (With latest alteration if any) including stacking and loading in to a Railway wagon/Road vehicle at the nearest Railway station/siding/Road under Chief Engineer/Con/NE. E.C. Railway MHX.” Annexure-5 is a similar contract wherein the specification of the pre-stressed concrete bridge slab is indicated as 6.10 m and 5.48 m clear span with MBG loading 25MT including RCC ballast retainers. Therein also, the contract includes stacking and loading into a railway wagon/ load vehicle at the nearest railway station/siding etc. Pursuant to the contract, the goods were manufactured and transported on the strength of invoices, two of which are produced as Annexure-6 series along with the writ petition. Annexure-7 is the details of various bills and the deductions made thereunder on which a claim of refund is made.

5. Learned counsel Shri Satyabir Bharti relied on *Pandit Electrical Private Ltd. v. Union of India; 2011 (2) PLJR 444, State of Orissa and Anr. v. K.B. Saha and Sons Industries (P) Ltd and Ors.; (2007) 9 SCC 97, Commissioner, Delhi Value Added Tax v. ABB Limited; (2016) 6 SCC 791 and Kone Elevator India Private Limited v. State of Tamil Nadu; (2014) 7 SCC 1* to contend that the transaction was a pure and simple sale of goods and that too an inter-state sale on which



Central Sales Tax (for brevity "CST") has been paid by the petitioner which is added in the invoice raised against the respondents.

6. The learned counsel appearing for the Railways specifically refers to the counter affidavit dated 26.11.2014 filed on behalf of the respondent Railways. It is pointed out that Clause 34 of the contract document specifically speaks of recovery at source of sales tax for any work executed within the State of Bihar, Jharkhand, MP and UP; the rate of which is also specified as 4% of gross work value. It is the specific contention of the Railways that the work having been executed within the territory of Bihar, the deduction was only proper.

7. We have to first notice the agreements produced as Annexure-2 and Annexure-5, which are not disputed by the Railways. The essence of these, is specifically reduced to writing in its counter affidavit, which speaks only of manufacture and supply of certain goods. Definitely, these are not goods available in the market, but the petitioner has to manufacture it as per the specification of the Railways, at its manufacturing unit situated in West Bengal and the obligation of the petitioner is insofar as loading and stacking it in a Railway wagon or vehicle at the nearest railway station/siding/road under



the Chief Engineer/Con/NE. The petitioner does not put/ lay the goods on the proposed construction of the Railways. The agreement is one of pure and simple manufacture and sale of goods; which does not constitute a works contract. We say this quite conscious of the fact that even if there is a works contract, as has been held in *Commissioner, Delhi Value Added Tax (supra)* there is no question of an inter-state supply pursuant to a sale being taxed within the State in which the works contract is carried out, if the supply of goods originates from another State on the basis of a prior contract and is subjected to accretion in the works. *Kone Elevator India Private Limited* puts to rest any controversy as to what a works contract is. There should be a composite contract for supply of goods and labour, which is absent in the present case.

8. In the present case, the issue is simplified insofar as the sale being mere manufacture and supply of goods which is a sale simplicitor of the goods; which goods have also been transported in pursuance to a prior contract of sale which is the reason for the movement of the goods from one State to the other; herein from the State of West Bengal to the State of Bihar. A Constitution Bench of the Hon'ble Supreme Court in *State of A.P. v. National Thermal Power Corpn. Ltd.; (2002) 5 SCC*



203 reiterated the settled proposition that a sale in the course of inter-state trade has three essential ingredients. One, there must be a contract of sale incorporating stipulation, express or implied, regarding inter-state movement of goods. Two, goods must actually move from one State to another, pursuant to such contract of sale, the sale being the proximate cause of movement and last, such movement must be from one State to another State where the sale concludes. It is also held that a movement of goods which takes place independently after a contract of sale would not fall within the meaning of inter-state sale. Similarly, if the transaction of sale stands completed within the State and the movement of goods takes place thereafter, it would obviously be independent of the contract of sale and necessarily by or on behalf of the purchaser alone and, therefore, the transaction would not be having an inter- state sale element.

9. A Division Bench of the Hon'ble Supreme Court also examined the very same position in *Hyderabad Engg. Industries v. State of A.P.; (2011) 4 SCC 705*. Therein the appellant, a registered dealer within the State of Andhra Pradesh was engaged in the manufacture and sale of electrical and other consumer items and they entered into an agreement with another



company for marketing and sale of their products. The appellant, pursuant to orders of sale issued by the other company, the agent, transported the products to the various depots belonging to themselves from where the agent collected the goods and delivered it to the ultimate purchaser. The assessee-appellant claimed it as a branch transfer. The Hon'ble Supreme Court found favour with the order of the Assessing Officer, which found it to be an inter-state sale exigible to tax under the CST Act. The Hon'ble Supreme Court after referring to a number of decisions on the point stated the principle thus in Paragraph 39, which is reproduced hereunder :-

39. "From the above decisions, the principle which emerges is—when the sale or agreement for sale causes or has the effect of occasioning the movement of goods from one State to another, irrespective of whether the movement of goods is provided for in the contract of sale or not, or when the order is placed with any branch office or the head office which resulted in the movement of goods, irrespective of whether the property in the goods passed in one State or the other, if the effect of such a sale is to have the movement of goods from one State to another, an inter-State sale would ensue and would result in exigibility of tax under Section 3(a) of the Central Act on the turnover of such transaction. It is only when the turnover relates to sale or purchase of goods during the course of inter-State trade or commerce that it would be taxable under the Central Act."

10. In the present case also the contract is one for



manufacture and transportation of pre-stressed concrete slabs and RCC Ballast Retainers of precise and particular specification. There is no works contract involved and it is only a sale pure and simple of goods manufactured by the petitioner, who has been awarded the contract; which is only for manufacture and sale. The manufactured goods are loaded and stacked in a vehicle or railway wagon, by which it is transported into the site within the State of Bihar for accretion in the works of the Railways; which work or accretion is not the responsibility of the petitioner. The transaction is purely of an inter-state sale of goods and is not a works contract nor a sale of goods exigible to tax within the State of Bihar. The sale of goods as per Annexure-2 and Annexure-5 agreements constitute an inter-state sale not exigible to tax within the State of Bihar.

11. The Railways had made a deduction on the ground that it is a works contract; which we have negatived. The Railways is bound to refund the illegal tax deduction made from the bills to the petitioner contractor. The Railways could definitely apply for refund from the Bihar Value Added Tax Department.

12. In this context, we have to notice **Pandit Electrical Private Ltd.** that the Railways in a similar



transaction was held to have made deduction illegally in an inter-state transaction.

13. The learned Standing Counsel for the Railways pointed out that there is an arbitration clause in the agreement and that the jurisdiction of this Court cannot be invoked under Article 226, especially in a contractual matter.

14. We do not think that the dispute raised was one which was arbitrable, especially since it involved the consideration as to whether the transaction was an inter-state sale, works contract or sale of goods within the State of Bihar.

15. In the above circumstances we direct the refund, but, confined to the deductions made three years prior to the date of registration of the above writ petition which is on 14.05.2012; giving effect to the limitation as prescribed for recovery of money under the Limitation Act. The Railways shall refund the amounts with 6% interest within a period of 4 months from the date of receipt of the certified copy of this judgment. If the refund is not granted within that time then the interest shall run at the rate of 12% from the date of expiry of the 4 month period. The Railways can apply for refund or adjustment to future dues from the State of Bihar.

16. The writ petition is allowed with the above



directions.

(K. Vinod Chandran, CJ)

(Partha Sarthy, J)

Anushka/-

AFR/NAFR	
CAV DATE	
Uploading Date	28.07.2023
Transmission Date	

